E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

कन्या भ्रूण हत्या : भारतीय समाज की एक सामाजिक विडंबना – एक विश्लेशणात्मक अध्ययन

डॉ सरिता कुशवाह
महाराजा मानसिंह कॉलेज,
चार शहर का नाका
हजीरा, ग्वालियर

Paper Received date
05/10/2025
Paper date Publishing Date
10/10/2025
DOI
https://doi.org/10.5281/zenodo.18790031

IMPACT FACTOR
5.924

सरांश

कन्या भ्रूण हत्या भारतीय समाज की एक गंभीर सामाजिक विडंबना है, जो लिंग आधारित भेदभाव और पितृसत्तात्मक मानसिकता का परिणाम है। आधुनिक चिकित्सा तकनीकों के विकास ने जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया है, वहीं भ्रूण के लिंग निर्धारण के दुरुपयोग ने कन्या भ्रूण हत्या की समस्या को बढ़ावा दिया है। इस शोधपत्र में कन्या भ्रूण हत्या के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं कानूनी आयामों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही इस समस्या के दुष्परिणामों तथा निवारण के उपायों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन का उद्देश्य समाज में लिंग समानता के प्रति जागरुकता उत्पन्न करना और कन्या भ्रूण हत्या के उन्मूलन हेतु ठोस सुझाव देना है।

1. प्रस्तावना

भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति, सृजन और समर्पण का प्रतीक माना गया है, किंतु व्यवहारिक जीवन में कन्या भ्रूण हत्या जैसी अमानवीय प्रवृत्ति समाज में व्याप्त है। पुत्र–प्राप्ति की लालसा, दहेज प्रथा, वंश चलाने की परंपरा तथा आर्थिक असुरक्षा जैसे कारण इस समस्या को जन्म देते हैं।

चिकित्सा तकनीकों जैसे अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भ्रूण के लिंग का पता लगाना और उसके माध्यम से गर्भपात कराना एक दंडनीय अपराध है। इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act लागू किया। इसके अतिरिक्त बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों द्वारा जन–जागरुकता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। फिर भी, समस्या का मूल कारण सामाजिक मानसिकता है, जिसे बदलना अत्यंत आवश्यक है।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

2. शोध के उद्देश्य

- कन्या भ्रूण हत्या के प्रमुख सामाजिक एवं आर्थिक कारणों का विश्लेषण करना।
- इस समस्या का समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।
- कानूनी प्रावधानों एवं सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।
- निवारण हेतु व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

3. शोध पद्धति

यह शोध द्वितियक स्त्रोतों पर आधारित है। पुस्तकों, शोध–पत्रों, सरकारी रिपोर्टों, जनगणना आँकड़ों एवं समाचार लेखों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक पद्धति पर आधारित है।

4. कन्या भ्रूण हत्या के प्रमुख कारण

- **सामाजिक कारण**
  - पितृसत्तात्मक व्यवस्था
  - पुत्र को वंश का वारिस मानना
  - सामाजिक प्रतिष्ठा की सोच
- **आर्थिक कारण**
  - दहेज प्रथा
  - आर्थिक असुरक्षा
  - पुत्र को वृद्धावस्था का सहारा मानना
- **सांस्कृतिक कारण**
  - धार्मिक मान्यताएँ
  - परंपरागत सोच

5. ऐतिहासिक पृश्ठभूमि और वर्तमान आँकड़े

पारंपरिक भारतीय समाज में पुत्र को वंश चलाने वाला, आर्थिक सहारा और अंतिम संस्कार करने वाला माना जाता रहा है। वहीं कन्या को आर्थिक बोझ और दहेज प्रथा से जोड़ा गया। आधुनिक चिकित्सा जैसे अल्ट्रासाउंड के आगमन के पश्चात् भ्रूण के लिंग की पहचान संभव हुई। जिसके फलस्वरुप कन्या भ्रूण हत्या की घटनाओं में वृद्धि हुई।

- भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात (0–6) वर्ष लगभग 918 प्रति हज़ार लड़कों पर थी।
- NFHS- 5 (2019–21) के अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात सुधार दर्ज़ किया गया। यह लगभग 929–930 लड़कियां प्रति हज़ार लड़के के आसपास रहा।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

- कुछ राज्यों जैसे हरियाणा और पंजाब में पहले लिंगानुपात काफी कम था, परंतु सरकारी अभियानों के बाद स्थिति में सुधार देखा गया है। लेकिन अभी भी अपराध जारी है।

6. तुलनात्मक आंकड़े

राज्य/क्षेत्र	लिंगानुपात	सुधार
हरियाणा	850/1000	+5%
राजस्थान	870/1000	+3%
उत्तरप्रदेश	890/1000	स्थिर
राष्ट्रीय औसत	918/1000	+2%

7. कानूनी उपाय

- **Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (PCPNDT) Act (1994)**
  - लिंग निर्धारण पर पूर्ण प्रतिबंध।
  - अल्ट्रासाउंड केन्द्रों का अनिवार्य पंजीकरण।
  - लिंग बताने या विज्ञापन करने पर दंडः 3 से 5 वर्ष तक की सज़ा, 10,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना, डॉक्टर का लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है।
- **Medical Termination of Pregnancy Act (1971, स"ोधित 2021)**

  विशेष परिस्थितियों में गर्भपात की अनुमति (महिला का स्वास्थ्य, बलात्कार, भ्रूण में विकृति आदि)। लिंग के आधार पर गर्भपात पूर्ण रुप से अवैध।
- **Beti Bachao Beti Padhao Yojana 2025** में शुरु की गई।

  उद्देश्य
  - बलिका अनुपात सुधारना और शिक्षा को बढ़ावा देना।
  - जगरुकता अभियान और सख्त निगरानी।
- **भारतीय दंड संहिता (IPC)**

  अवैध गर्भपात और भ्रूण हत्या पर दंड का प्रावधान।

8. प्रमुख चुनौतियाँ

- समाजिक मानसिकता
- पुत्र को वंश चलाने वाला और आर्थिक सहारा मानना।
- दहेज प्रथा और पितृसत्तात्मक सोच।
- तकनीकी दुरुपयोग।
- अल्ट्रासाउंड मशीनों का गलत उपयोग।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

- गुप्त रुप से लिंग जांच।
- कानून का कमजोर क्रियान्वयन।
- निरीक्षण में ढ़िलाई।
- दोषियों को सज़ा दिलाने में देरी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में जागरुकता की कमी।
- शिक्षा और कानूनी जानकारी का अभाव।
- भ्रष्टाचार और मिलीभगत।
- कुछ मामलों में चिकित्सा कर्मियों और परिवार की सांठगांठ।

9. निष्कर्ष

कन्या भ्रूण हत्या केवल एक कानूनी अपराध नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक अपराध भी है। कन्या भ्रूण हत्या रोकना सामाजिक संतुलन बनाये रखने के लिये भी अनिवार्य है। इसे रोकने के लिये कठोर कानूनों के साथ–साथ समाज में जागरुकता शिक्षा और बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच का विकास अत्यंत आवश्यक है। बेटी और बेटे को समान सम्मान एवं अवसर देकर ही एक संतुलित तथा समृद्ध समाज का निर्माण किया जा सकता है।

10. सुझाव

- परिवर्तन के लिये महिलाओं को सब्सिड़ी योजनाओं और कौशल प्रशिक्षण देकर आर्थिक रुप से सशक्त बनाया जाना चाहिए।
- AI आधारित शिकायत पोर्टल और कठोर सजा से अपराध दर को कम किया जा सकता है।
- अल्ट्रासाउंड मशीनों पर GPS ट्रेकिंग के द्वारा डिजिटल निगरानी रखी जा सकती है।
- पंचायतों में सामुदायिक भागीदारी (जैसे– पुरस्कार योजना, बेटी जन्म पर सम्मान) को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- स्कूलों में स्लोगन– बेटी बचाओ देश बचाओ, कन्या भ्रूण हत्या बंद करो आदि लगाये जा सकते हैं।
- पंचायतों को शिकायत दर्ज़ करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।
- इस अपराध के लिए सख्त सज़ा का प्रावधान बनाना चाहिए। जिसमें न्यूनतम 7 वर्ष की सज़ा और सम्पत्ति ज़ब्ती के आदेश दिया जाये।

कन्या भ्रूण हत्या भारत में एक गंभीर सामाजिक और कानूनी अपराध है। इसे रोकने के लिए कई कानून बनाए गए हैं, लेकिन आज भी इसके सामने अनेक चुनौतियाँ मौजूद हैं।

11. संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, भारत सरकारए 1994 (संशोधित 2003)।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

2. Ministry of Health and Family Welfare. वार्षिक प्रतिवेदनः पीसीपीएनडीटी अधिनियम का क्रियान्वयन, नई दिल्ली।
3. Census of India. (2011). जनगणना रिपोर्टः बाल लिंगानुपात संबंधी आँकड़े, भारत सरकार।
4. National Crime Records Bureau. क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट (विभिन्न वर्ष), नई दिल्ली।
5. Economic and Political Weekly – जेंडर भेदभाव एवं सामाजिक विश्लेषण से संबंधित शोध लेख।
6. NITI Aayog. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजनाः दिशा निर्देश एवं प्रगति रिपोर्ट, भारत सरकार।